121

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

स्मक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1301/94 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—11—1994 के द्वारा अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 56/1993—94/अपील.

.....

1— मु0 रूपादेवी विधवा पत्नी शम्भू सिंह
2— ऊषदेवी पुत्री शम्भू सिंह
निवासीगण—ग्राम कैलोर, तहसील
व जिला—जालौन, उ.प्र.

.....आवेदिकागण

विरूद्ध

1— बहादुर सिंह पुत्र भैरों सिंह
2— शिवसिंह पुत्र भैरों सिंह (मृत)
3— कप्तान सिंह पुत्र भैरों सिंह
निवासीगण—सिलौली, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड, मध्यप्रदेश

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 व 3,

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0 56/1993—94 में पारित आदेश दिनांक 25—11—94 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिलोली स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका कुल किता 12 रकबा 2.659 हैक्टर के 1/2 भाग के भू—स्वामी शम्भूसिंह की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उनके स्थान पर बहादुर सिंह, शिवसिंह एवं कप्तान सिंह के नाम नामांतरण करने के आदेश सहायक बंदोबस्त अधिकारी गोहद द्वारा दिनांक 18.06.93 को पारित किया गया ।

जिसके विरूद्ध आवेदिका ने बंदोबस्त अधिकारी, जिला–भिण्ड के न्यायालय में दिनांक 29.6.93 को अपील पेश की । बंदोबस्त अधिकारी ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये आवेदिका के द्वारा पेश की गई अपील आवेदन दिनांक 25.04.94 को स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के यहॉ प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 25.11.94 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण किया जावे । बन्दोबस्त आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 25.11.94 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि बन्दोबस्त आयुक्त ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों पर समुचित विचार नहीं किया । प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था । जिन आधारों पर बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश पारित किया था वह आधार उचित था, किन्तु बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है जो कि न्यायोचित नहीं है । तर्क में उन्होंने यह भी बताया है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सिद्ध नहीं है जब वसियत सिद्ध ही नहीं थी तब उसे संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता । सिद्धभार अनावेदकगण पर था, जिसे पूरा करने में वह असफल रहा है । ऐसी स्थिति में जब वसियत कानूनन सिद्ध ही नहीं है तब प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं था । मृतक शम्भूसिंह की पत्नी एवं विकलांग पुत्री के होते हुये किसी अन्य के हित में वसियत किये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है । बन्दोबस्त आयुक्त ने विवादित आदेश के पद क्रमांक 2में यह माना है कि वसियत सिद्ध नहीं है और संदेह से परि साबित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाये और निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक क्र0 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री एन0डी0 शर्मा उपस्थित । अनावेदक क्र0 2 की मृत्यु उपरांत उसके वारिसों को सूचना दिया गया, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अनावेदक क्र0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकरण में यह पाया गया है कि वसीयत वास्तव में अपंजीकृत है । न्यायालय में मूल वासियत तो पेश ही नहीं की गई है । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में वसीयत की फोटोकॉपी की प्रति पेश की है । बन्दोबस्त अधिकारी ने अवश्य लिखा है कि उन्होंने वसीयत की मूल प्रति का अवलोकन दिनांक 28.01.94 को किया । वसीयतनामें का दिनांक 5.11.92 ई0सम्बत सन की थी, विक्रमी सम्वत में दिनांक क्वार शुदी 10 जबकि कलेन्डर के अनुसार उसे कार्तिक शुदी 10 होना चाहिये था । आवेदकगण का कहना है कि यह भूलवश हुआ है और केवल इसी आधार पर वसीयत संदिग्ध मानने का कोई औचित्य नहीं है ।

6/ प्रकरण में वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक के बारे में भी विवाद है । पंचायत द्वारा दिये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृत्यु दिनांक 12.11.92 अंकित है और बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही के दौरान मृत्यु प्रमाण–पत्र में 11.10.92 बताया गया है । मृत्युप्रमाण–पत्र संदेस्पद है, क्योंकि पंयाचत द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र में और बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में पेश किये गये प्रमाण–पत्र में दो अलग–अलग दिनांके अंकित है । मृत्यु दिनांक एक तथ्य है जो पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख के आधार पर बताया जाना चाहिये न कि सर्वसम्मति के आधार पर । इस प्रकार स्पष्ट है कि बंदोबस्त अधिकारी ने वसीयत करने के दिनांक और वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिनांक की छानबीन नहीं की है । बन्दोबस्त अधिकारी का यह मानना की वसीयत का लाभ लेने के लिये रिश्तेदारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तर्कसंगत नहीं । क्योंकि केवल रिश्तेदार होने से उसकी विश्वसनीयता कम नहीं होती है, परन्तु उसके साथ ही वसीयतनामों पर किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि वसीयकर्ता शम्भूसिंह ने मेरे सामने वसीयत पर हस्ताक्षर किये है । अनावेदक क्र0 1 बहादुर सिंह द्वारा वसीयत सिद्ध नहीं हो पाया ।

7/ प्रकरण का विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 168(2) के प्रावधानों के अंतर्गत नामांतरित नहीं किया जा सकता । बन्दोबस्त अधिकारी का यह निष्कर्ष नियमानुसार नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 168(2) में विकलांग या विधिवा की भूमि को नामांतरण करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है । यह धारा उनकी भूमि को पट्टे पर देने के प्रावधानों से संबंधित है । विवादित भूमि शम्भूसिंह की विधवा एवं उसकी

दिव्यांग पुत्री के नाम दर्ज नहीं है । बल्कि शम्भू सिंह के नाम से दर्ज है । इन दोनों कारणों से संहिता की धारा 168(2) यहॉ लागू नहीं होती है । बन्दोबस्त अधिकारी ने इसी धारा के आधार पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त किया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.94 निरस्त किये जाने योग्य है । बन्दोबस्त आयुक्त के द्वारा पारित किये गये आदेश से मैं सहमत हूँ ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश 25.04.94 निरस्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश, विधिनुकूल होने से यथावत रखते हुये, निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर